# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 5284 / 12-1 दिनाँक 01/03/2024

सेवा में,

जिला सैनिक कल्याण
एवं पुनर्वास अधिकारी, हल्द्वानी।

**विषयः–** **जनपद–नैनीताल हल्द्वानी में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–309/2020 के अंतर्गत शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/Others/151759/2022)**

**संदर्भः–** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–1601/12–1 दिनांक–14.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/40/2022/एफ0सी0/1180 दिनांकः 05.12.2022 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति कई शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–4739/12–1 दिनांक–07.02.2023 द्वारा पूर्व में डिमांड नोट प्रेषित किया गया। आपके द्वारा पुनः डिमांड नोट प्रेषित करने का अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक–4689/12–1 दिनांक–27.01.2024 द्वारा पुनः डिमांड नोट आपको प्रेषित किया गया। आपके द्वारा अवगत कराया गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा संशोधित डिमांड नोट प्रेषित करने के आदेश दिये गये है। जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–1601/12–1 दिनांक–14.02.2024 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक–05.12.2022 में उल्लिखित शर्त संख्या 3(क) के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण का आंकलन तैयार कर उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत किये गये है। जिसके अनुसार संशोधित डिमांड नोट निम्न प्रकार है।

**1. सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–3(क) प्रतिपूरक वनीकरणः**
उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/12–1 दिनांक–01.07.2021 के द्वारा वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक–30.11.1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार उक्त परियोजना हेतु 10 वर्षो के अनुरक्षित के लिये दानीबंगर बीट, गौला राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के अन्तर्गत 0.126 है0 में 126 पौध के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो के रख–रखाव हेतु **रू0–2,23,146/(दो लाख तेईस हजार एक सौ छियालिस रूपये मात्र)** की धनराशि आंकलित की गयी है।

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा0(रूपये में) | उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (हैक्टेयर में) | आंकलित धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023–24 | 1771प्रति वृक्ष | 0.126/126पौध | 223146.00 |

Scanned with OKEN Scanner

2. **सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्य**

क) इस सवंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(pt.2) दिनांक–18.09.2003,5–2/2006–एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक–05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.063 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

उक्त विन्दु के अनुपालन में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली के पत्रांक –5–3/2011–एफ.सी. दिनांक–06.01.2022 द्वारा वर्तमान में NPV की दरों का पुनः निर्धारण किया गया है,। जिसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.063है0 वन भूमि हेतु रु–**60,340**.00(साठ हजार तीन सौ चालीस रू0 मात्र) की धनराशि आंकलित की गयी है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

| S.No. | Eco-class | Open forest (In Rs.) | उक्त परियोजना हेतु वन भूमि (हैक्टेयर में) | आंकलित धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | III | 957780.00 | 0.063 | 60340.00 |

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का का कष्ट करे।

भवदीय

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक– 5284/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक– 5284/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन क्षेत्राधिकारी गौला, को इस आशय से प्रेषित है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) के अनुसार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

Scanned with OKEN Scanner